आर्थिक प्रतिरक्षा संबंधी प्रशासनिक परिषद् संघीय गणराज्य ब्राजील एवं प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत गणराज्य के बीच प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

आर्थिक प्रतिरक्षा संबंधी प्रशासनिक परिषद्, ब्राजील (सीएडीई) एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'हस्ताक्षरकर्तागण' के तौर पर संदर्भित एवं अलग-अलग 'हस्ताक्षरकर्ता अथवा समकक्ष' के तौर पर संदर्भित);

आपसी विश्वास एवं संबंध के सिद्धांतों के आधार पर;

एक दूसरे देश के प्रतिस्पर्धा कानूनों एवं विनियमों की प्रभावी प्रवर्तन के क्षेत्र में सहयोग की प्रसुविधा को मान्यता देते हुए;

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एवं अपने-अपने देशों के नागरिकों के आर्थिक कल्याण के प्रति सहकारी संबंध विकसित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

अपने-अपने देशों के कानून एवं विनियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृढ़ इच्छा रखते हुए;

अपने-अपने देशों में प्रवृत्त कानूनों एवं विनियमों, अपने युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध संसाधनों तथा अपने-अपने अहम हितों की सुसंगत सीमा तक, एक दूसरे के साथ सहयोग करने व सहायता प्रदान करने पर सहमति प्रकट करते हुए;

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं यथा:

I. **सहयोग**

1. हस्ताक्षरकर्तागण एक दूसरे को अपने प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलापों की सूचना देंगे जो उनके संबंधित समकक्ष के अहम हितों को प्रभावित करते हों।
2. परंतु यह कि वह हस्ताक्षरकर्ता के राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों के प्रतिकूल न हो एवं यह भी कि वह एक हस्ताक्षकर्ता द्वारा की जा रही किसी प्रकार की जांच अथवा कार्यवाही को प्रभावित न करती हो, उपर्युक्त सूचना यथा संभव अविलंब जारी की जाएगी जैसे ही सूचना देने वाले हस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आता है कि उसके प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप उसके समकक्ष के अहम हितों को प्रभावित कर सकते हैं।
3. हस्ताक्षरकर्तागण अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों, हितों एवं युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निम्नलिखित सूचना का आदान-प्रदान करेंगे:
    क) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एक दूसरे के कानून, विनियम, प्रतिस्पर्धा नीति एवं प्रवर्तन संबंधी घटनाक्रम पर;
    ख) प्रतिस्पर्धा नीति के कानूनी ढांचे में सुधार का अनुभव पर;

ग) अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की जांच करने का अनुभव पर;

घ) बाजारों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सुधार पर; तथा

ङ) प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में शोध के विकास पर।

4. हस्ताक्षरकर्तागण प्रतिस्पर्धा संबंधी कानून एवं नीति व उससे जुड़े अथवा उससे प्रासंगिक मामलों के प्रवर्तन से संबंधित आम हित के क्षेत्र में, आपसी परामर्श के आधार पर निर्णय करते हुए सहयोग विकसित करना चाहते हैं।

5. हस्ताक्षरकर्तागण तकनीकी सहयोग से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे जैसे:

क) प्रतिस्पर्धा संबंधी कानून एवं नीति पर एक अथवा दोनों हस्ताक्षरकर्तागणों द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेना;

ख) प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ कर्मियों का आदान-प्रदान करना;

ग) हस्ताक्षरकर्तागणों के पास प्रतिस्पर्धा नीति के सुदृढ़ीकरण एवं प्रतिस्पर्धा संबंधी कानून के प्रवर्तन पर दोनों में एक अथवा दोनों हस्ताक्षरकर्तागणों द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्याख्याता अथवा परामर्शदाता के रूप में भाग लेने वाले कर्मचारी उपलब्ध होना;

घ) विभिन्न पणधारकों जैसे व्यापार समुदायों, बार संघों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य के बीच सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा नीति की समझ को बढ़ावा देने में, जहां सुमचित हो, सहायता प्रदान करना; तथा

ङ) कोई अन्य स्वरूप में तकनीकी सहयोग जैसा हस्ताक्षरकर्तागण निर्णय लें।

6. प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों की जांच करते समय, हस्ताक्षरकर्तागण अपने-अपने देशों में प्रवृत्त कानूनों एवं विनियमों, अपने युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध संसाधनों तथा अपने-अपने अहम हितों के अनुसार सहयोग करने का प्रयास करेंगे।

7. हस्ताक्षरकर्तागण प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी प्रवर्तन एवं नीति के मामलों के संबंध में एक दूसरे से सलाह के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

8. हस्ताक्षरकर्तागण, इस समझौता ज्ञापन के अधीन, सहयोग की प्रभावोत्पादकता पर नियमित आधार पर परिचर्चा, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

II. संचार/संवाद

9. इस समझौता ज्ञापन पर आधारित सहयोग को सुविधापरक बनाने के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्तागण, निम्नलिखित संपर्क सूत्र नियुक्त करेंगे। यह संचार/संवाद टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस या व्यक्तिगत रूप से जो भी उपयुक्त हो, से किया जा सकता है।

सीएडीई:
अंतर्राष्ट्रीय इकाई, आर्थिक प्रतिरक्षा प्रशासनिक परिषद्
international@cade.gov.br
सीसीआई:
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
international@cci.gov.in

10. हस्ताक्षरकर्तागणों के अधिकारी, प्रतिस्पर्धा संबंधी कानून एवं नीति के क्षेत्र में अनुभव साझा करने के लिए बैठक कर सकते हैं। अधिकारियों को भेजने का व्यय, भेजने वाला हस्ताक्षरकर्ता वहन करेगा जबकि बैठक आयोजित करने का व्यय, ऐसा अनुभव प्राप्त करने वाला हस्ताक्षरकर्ता वहन करेगा।
11. वर्तमान समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान, पारस्परिक रूप से विनिश्चित कार्य बैठकें आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षरकर्तागण, ऐसी बैठकों में सामान्य हित के मुद्दों पर परिचर्चा करने के अतिरिक्त सहयोग की समीक्षा एवं मूल्यांकन भी करेंगे।

III. गोपनीयता

12. यह स्वीकार किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्तागण दूसरे को ऐसी सूचना संप्रेषित करने का आशय नहीं रखते हैं, यदि ऐसे संचार/संवाद सूचना रखने वाले हस्ताक्षरकर्ता को नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा प्रतिबंधित है अथवा यदि यह उस हस्ताक्षरकर्ता के अहम हित के प्रति असंगत है।
13. जहां तक दोनों हस्ताक्षरकर्तागणों में से कोई एक हस्ताक्षरकर्ता कोई सूचना संप्रेषित करता है तो प्राप्तकर्ता, अपने कानूनों की सुसंगत सीमा तक, ऐसी सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा।
14. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने समकक्ष को इस समझौता ज्ञापन के अधीन उपलब्ध कराई गई अन्य सूचना का समकक्ष केवल प्रतिस्पर्धा कानून के प्रभावी प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ ही उपयोग करेगा एवं तीसरे पक्षकारों को संप्रेषित नहीं करेगा।

IV. कार्यान्वयन

15. इस समझौता ज्ञापन का आशय सहयोग के लिए एक सलाहकार ढांचे का सूत्रपात करना है। इस समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित करने में हस्ताक्षरकर्तागणों के पास अपना पूर्ण विवेक सुरक्षित है एवं ऐसा कुछ भी अभिप्रेत नहीं है जो मौजूदा कानून, करारों या संधियों में बदलाव करे। यह समझौता ज्ञापन, कानूनी रूप से बाध्यकारी या प्रवर्तनीय अधिकारों का सृजन करने के प्रयोजनार्थ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं होगी।
16. इस समझौता ज्ञापन में ऐसा कुछ भी अभिप्रेत नहीं है जो हस्ताक्षरकर्तागणों को अन्य करारों, संधियों, व्यवस्थाओं अथवा प्रथाओं के अनुसरण में किसी अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने अथवा सहायता प्रदान करने से रोकता हो।
17. इस समझौता ज्ञापन के अधीन किये गये अधिकारिक क्रियाकलापों की पूर्ति करने में प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए उत्तरदायी होने के कारण, इस समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरकर्तागणों के बीच निधियों का अंतरण करना आवश्यक नहीं है।

V. अन्य

18. इस समझौता ज्ञापन के अधीन सहयोग इसके हस्ताक्षर करने की तिथि से आरंभ होगा।

19. यह समझौता ज्ञापन तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा एवं, इसके उपरांत जब तक कि हस्ताक्षरकर्तागणों में से एक हस्ताक्षरकर्ता 90 दिनों की लिखित सूचना देते हुए इसके समापन का निर्णय न ले, नवीनीकरण की अवधि पर हस्ताक्षर करते हुए क्रमानुगत समान अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीकरणीय होगा।

20. हस्ताक्षरकर्तागण इस समझौता ज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्नों के संबंध में विचार विमर्ष करेंगे।

21. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरकर्तागणों की आपसी लिखित सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

22. इस समझौता ज्ञापन को संचालित करने के विस्तृत नियमों पर हस्ताक्षरकर्तागणों के बीच यथा आवश्यक निर्णय लिये जाएंगे।

23. वर्तमान समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन से संबंधित पहलों से व्युत्पित दस्तावेज संयुक्त रूप से हस्ताक्षरकर्तागणों के स्वामित्वाधीन होंगे। यदि उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रकाशित किया जाना है तो हस्ताक्षरकर्तागण, पहले ही एवं औपचारिक रूप से परामर्श करेंगे तथा प्रकाशित दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

24. इस समझौता ज्ञापन के किसी प्रावधान की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद का हस्ताक्षरकर्तागणों के बीच परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा।

25. सीएडीई ब्राजील के संघीय अधिकारिक राजपत्र में इस समझौता ज्ञापन का एक उद्धरण प्रकाशित करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी उस अर्थ में ऐसा ही कर सकता है जो वह पर्याप्त समझे एवं उसके देश के कानून के अनुसार हो।

सभी मूलशब्द समान रूप से प्रामाणिक होने पर 18 जून 2021 को हिंदी, पुर्तगाली एवं अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं में, दो मूल प्रति में हस्ताक्षरित। व्याख्या में विषमांतर के मामले में, अंग्रेजी शब्द मान्य होगा।

एलेक्जेंडर बरेटो दे सूजा
आर्थिक प्रतिरक्षा संबंधी प्रशासकीय परिषद्-सीएडीई

अशोक कुमार गुप्ता
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग- सीसीआई